28/7/15	पत्रावली दिनांक 13/8/15 को बाद जोलोअप कैम के देखी गई वसूलयाब को जोलोअप कैम की तारीख दी गई। आज जोलोअप कैम के वकील व वादीगण बावजूद इत्तला की गैरहाजरी होने के वकील वादीगण व वादीगण को आवाज दिलाई गई बावजूद आवाज के गैर हाजिर होकर वादीगण का वाद आज हाजरी आज पेशी के बाद खारिज किया जाता है फीस वापस के कार्य होकर पत्रावली दाखिल हो।

निर्णय उच्चारित मेरे

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
मुकामपुरा सिटी (नागौर)